बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01/स्था०क्षे०–341/2026 पटना, दिनांक ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2026

का र्या ल य आ दे श

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–1381 दिनांक–02.09.2025 के द्वारा श्री अरूण कुमार पटेल संविदा जनसेवक को संविदा के आधार पर नियोजित कर एक वर्ष अथवा, 65 वर्ष की आयु पुर्ण होने तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में पदस्थापन किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

क्र०	नाम	पदनाम	जन्म तिथि/ सेवा निवृति की तिथि	प्रथम संविदा नियोजन के अंतर्गत योगदान की तिथि	नियोजन समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरूण कुमार पटेल	संविदा जनसेवक	05.05.1963/ 31.05.2023	04.09.2025	03.09.2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क)(v) में निहित प्रावधान के तहत् सेवा अवधि विस्तार के संबंध में सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–238 दिनांक–07.08.2026 से प्राप्त अनुशंसा पर विचारोपरांत उक्त पद पर आगामी 01 (एक) वर्ष या नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो के लिए नियोजनावधि विस्तारित की जाती है।

2. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत् सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत् रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

4. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

5. इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(नवनीत कुमार दूबे)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०क्षे०–341/2026 1926 पटना, दिनांक 05 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर/आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.10.2026
सरकार के अवर सचिव।